



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1040]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 1040]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

का.आ. 1597(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना में इसके अन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 3527(अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पूछताछ और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधनः

जोन के-II में आने वाले सेक्टर-5 में स्थित 4 हेक्टेयर निम्न क्षेत्र का भूमि उपयोग में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्र	भूमि उपयोग (दि.मु.यो-2021)	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1.	सेक्टर-5 द्वारका में स्थल	4 हेक्टेयर	सार्वजनिक / अर्ध सार्वजनिक (पी.एस-1)	उपयोगिता (यू-3)	उत्तर: प्रस्तावित अस्पताल स्थल (2 हेक्टेयर) पूर्व: पालम नाला पश्चिम: 20 मी0 चौड़ा रोड दक्षिण: 30 मी0 चौड़ा रोड

[फा. सं. के-13011/2/2016-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th April, 2016

**S.O. 1597(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3527 (E), dated 29th December, 2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modification:**

The land use of the following area measuring 4 Hact. located at Sector-5, Dwarka, falling in Zone-K-II is changed as per description listed below:

Sl. No.	Location	Area	Land use (MPD 2021)	Land use Changed to	Boundaries
	1	2	3	4	5
1.	Site at Sector-5, Dwarka	4 ha.	Public/ Semi Public (PS1)	Utility (U-3)	<b>North</b> : Proposed Hospital site (2 hacts.) <b>East</b> : Palam drain <b>West</b> : 20m wide road <b>South</b> : 30m wide road

[F.No. K-13011/2/2016-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.